Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में ग्राम विकास अधिकारी को एक दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज सोमवार को अलवर में कार्यवाही करते हुये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलावड़ा, पं.स. रामगढ़ जिला अलवर मौहम्मद आलम जहाँगीर खान को उसके दलाल संजय कुमार सिंधल के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि निजी मकान एवं दुकानों का पट्टा जारी करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलावड़ा, पं.स. रामगढ़ जिला अलवर मौहम्मद आलम जहाँगीर खान द्वारा उसके दलाल संजय कुमार सिंधल के माध्यम से **एक बेशकीमती दुकान का एग्रीमेन्ट अपने नाम करने तथा 6 लाख रुपये रिश्वत** राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम के द्वारा अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) संजय कुमार सिंधल** पुत्र श्री भगवत प्रसाद अग्रवाल निवासी ग्राम अलावड़ा, तहसील व थाना रामगढ़, जिला अलवर को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी **मौहम्मद आलम जहाँगीर खान** पुत्र श्री मौहम्मद ईशाक अली खान निवासी ग्राम रायपुर खुर्द तहसील व थाना नगर जिला भरतपुर हाल **ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलावड़ा, पं.स. रामगढ़ जिला अलवर** को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत लेते समय गरीब परिवादी को एक बेशकीमती दुकान भी अपने नाम करवाने को कहा था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।